संख्या /उन्तीस(2)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2006

विषयः– सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग के शासनादेश संख्या 380/XVIII(2)/2006 दिनांक 18.05.2006 द्वारा उत्तरांचल जल संस्थान को अवमुक्त रू0 8.75 करोड़ की धनराशि के व्यय हेतु शर्तो के निर्धारण शासनादेश संख्या 482/XVIII(2)/2006 दिनांक 13.06.2006 में किया गया है।

2– सूखा राहत मद में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8.75 करोड़ के उपयोग के संदर्भ में दिनांक 12.07.2006 को सचिव पेयजल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में उत्तरांचल जल संस्थान के अधिकारियो द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्यो के प्राक्कलन छोटी–छोटी लागत के एवं बहुत अधिक संख्या में है, जिसका शासन स्तर पर टी0ए0सी0 से परीक्षण कराने की प्रकिया में काफी समय लगने की संभावना को देखते हुये सूखा राहत तथा दैवीय आपदा मद में समय से उपयोग किया जाना सम्भव नही होगा तथा इस प्रकार के प्राक्कलनों की स्वीकृति का अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

3– अतः वर्णित स्थिति में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.06.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासनादेश के प्रस्तर–2 में उल्लिखित *"क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओ के मरम्मत कार्यो हेतु आगणन गठित कर सक्षम स्तर से सत्यपित एंव प्रमाणित किया जायेगा*

2

तथा तकनीकी परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ही व्यय की जायेगी" के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये।

"क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओ के मरम्मत कार्यो हेतु आगणन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण करा कर स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी तथा समक्ष स्तर से तकनीकी परीक्षण के पश्चात रू0 5.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं 10.00 लाख तक की धनराशि मण्डलायुक्त तथा 10.00 लाख से अधिक के आगणन प्रस्तावों पर टी0ए0सी0 की संस्तुति के पश्चात ही स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी"

5– उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.06.2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा इसकी शेष अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

6– यह आदेश आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव

पृ0स0– 1520 (1)/उन्तीस(2)/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एंव हकदारी) ओबैराय बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
2. सयुक्त सचिव, एन0डी0एम0, प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुँमाऊ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन एंव पुनर्वास विभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग 2/5
7. कोषाधिकारी, पौडी/नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
9. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ
11. राज्य सूचना, अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुँमाऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव